न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), कक्ष संख्या–1, जनपद कन्नौज।

उपस्थितः–हरि प्रसाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O.CODE–UP6489

UPKJ010014622022

विशेष सत्र परीक्षण वाद संख्या–677/2022
राज्य (विशाल) प्रति प्रमोद कुमार आदि
धारा–395, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता
थाना–सौरिख जनपद कन्नौज।

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजनपक्ष

प्रति

1. **प्रमोद कुमार,**
2. **देवेन्द्र कुमार**
3. **अनूप कुमार**

   पुत्रगण स्व० रामलड़ैते
4. **अक्षय उर्फ आशु पुत्र प्रमोद कुमार,**
5. **चेतन पुत्र देवेन्द्र कुमार,**

   निवासीगण–ग्राम गढ़िया थाना सौरिख, जनपद कन्नौज।**.....अभियुक्तगण**

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में **वादी मुकदमा विशाल कुमार** द्वारा न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, कन्नौज में अभियुक्तगण **प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, अनूप कुमार, अक्षय उर्फ आशु** व **चेतन** के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, कन्नौज द्वारा उक्त प्रकरण को दिनांक 07.06.2022 परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इसप्रकार है कि वादी मुकदमा/परिवादी होली की मिलाई अपने घर से पड़ोसी घरों में करने हेतु दिनांक 18.03.2022 को समय करीब 8.00 बजे रात्रि में करने जा रहा था। रास्ते में प्रमोद कुमार, देवेन्द्र

Digitally signed by HARI PRASAD
Date: 2026.04.03 16:53:33 IST
Reason: ACCUSED ACQUITTAL
Location: ADJ COURT NO 1 KANNAUJ

कुमार मिल गये। वादी मुकदमा ने इनके चरण स्पर्श करना चाहा जिसपर वे लोग चिल्लाने लगे कि तू हम लोगों से दूर रह तू तो हमारा दुश्मन है जिसपर वादी अपने घर वापस लौटने लगा तभी पीछे से अनूप कुमार, अक्षय उर्फ आशु व चेतन आ गये जिनके हाथ में अवैध असलाह थे। वादी घबराकर घर के लिये भागा तभी अक्षय उर्फ आशु, चेतन, प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, अनूप कुमार व दो अज्ञात व्यक्तियों ने एक राय होकर गाली गलौज करते हुये विष्णु कान्त के घर के सामने गली में वादी को गिराकर मारने पीटने लगे। वादी की गले में पहने हुये सोने की जंजीर वजन करीब 10 ग्राम व जेब में पड़े 1,700/–रूपये लूट लिये। वादी की चीख पुकार सुनकर विष्णु कान्त, सोना देवी उर्फ सोनी व वादी के पिता वीरेन्द्र कुमार मौके पर आ गये एवं विपक्षीगण को ललकारा तो विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। ।

3. परिवादी/वादी मुकदमा ने अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का बयान धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में तथा धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के रूप में सी.पी.डब्लू–1 सोनी देवी व सी.पी.डब्लू–2 विष्णुकान्त को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। वादी/परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 व धारा–202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–2 कन्नौज द्वारा दिनांक 06.09.2022 को अभियुक्तगण **प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, अनूप कुमार, अक्षय उर्फ आशु** व **चेतन** को अपराध अन्तर्गत **धारा–392, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता** के विचारण हेतु तलब किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अपनी–अपनी जमानतें करायी गयी।

4. प्रस्तुत मामले के विचारण हेतु अभियुक्तगण उपरोक्त न्यायालय उपस्थित आये तथा आरोप के बिन्दु पर अभियोजन व अभियुक्त पक्ष को सुनने के उपरान्त विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, कन्नौज ने दिनांक 19.10.2023 को अभियुक्तगण **प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, अनूप कुमार, अक्षय उर्फ आशु** व **चेतन** के विरूद्ध **धारा–395, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता** के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने विरचित आरोपों से इंकार करते हुये विचारण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के

तौर पर **साक्षी पी0 डब्लू0–1 विशाल कुमार, पी.डब्लू–2 विष्णुकान्त एवं पी.डब्लू–3 सोनी देवी** को परीक्षित कराया गया।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में पुलिस अधीक्षक कन्नौज को प्रेषित पत्र की रजिस्ट्री रसीद प्रदर्श क–1, प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रदर्श क–2 एवं शपथपत्र प्रदर्श क–3 प्रस्तुत किया गया। इसप्रकार अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ।

7. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 04.02.2026 को अंकित किया गया जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि उनके विरूद्ध यह मुकदमा गलत तथ्यों के आधार पर झूंठा लिखाया गया है। अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष हैं। बचावपक्ष की ओर से बचाव के रूप में कोई प्रलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान ए.डी.जी.सी.(दाण्डिक) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

निष्कर्ष

9. प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि क्या उपरोक्त वर्णित अभियोग में तहरीर में अभिलिखित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को गाली गलौज करते हुये उसके गले से सोने की जंजीर व 1,700/–रूपये लूट लिया एवं विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया?

10. अभियोजन पक्ष द्वारा इस केस को साबित करने के लिए **पी.डब्लू–1** को बतौर साक्षी **विशाल कुमार** परीक्षित कराया गया। साक्षी **पी0 डब्लू0–1** ने न्यायालय के समक्ष अंकित मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि घटना दिनांक 18.03.2022 को रात 8.00 बजे की है। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में मेरे गाँव के प्रमोद कुमार और देवेन्द्र कुमार मिले। मैं उनके पैर छूना चाह रहा था लेकिन दोनों व्यक्ति मुझसे किसी बात से नाराज थे। उन्होंने मुझसे पैर छूने को मना किया और मुझसे इस बात को लेकर बहस करने लगे तभी मैं अपने घर की तरफ जाने लगा और गाँव के बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। रात का समय था, अंधेरा था। कोई गाली गलौज कर रहा था तब मैंने कहा कि कौन

लोग गाली दे रहे है तो लोगों ने बताया कि अनूप कुमार, अक्षय, चेतन, प्रमोद कुमार व देवेन्द्र गाली गलौज कर रहे है और जान से मारने की धमकी दे रहे है। इसके बाद लोगों ने मामला शांत कराया। मैं थाना सौरिख इन लोगों की शिकायत करने के लिए गया। जहाँ पर मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई जिसके बाद मैंने दिनांक 30.03.2022 को एक तहरीर प्रार्थनापत्र टाइप कराकर पुलिस अधीक्षक महोदय को रजिस्टर्ड डाक से भेजा था। वह रजिस्टर्ड डाक की रसीद कागज संख्या 6B पर मौजूद है जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। रसीद पर **प्रदर्श क–01** डाला गया। कार्यवाही न होने पर मैंने अदालत एफ.टी.सी. द्वितीय एंटी डकैती में धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के साथ माननीय न्यायालय में दिया था। वह प्रार्थनापत्र व शपथपत्र पत्रावली में कागज संख्या 3A/1 से 4B पर मौजूद है जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क– 02** व **प्रदर्श क–03** डाला गया। न्यायालय में दिनांक 20.07.2022 को धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मेरा बयान हुआ था **जिसमें मैंने चेतन व आशू द्वारा 1,700/– रुपए छीनने व अपनी चैन तोड़ने की बात बताई थी, लेकिन यह बयान मैंने वकील साहब के समझाने व लोगों के कहने पर दिया था।** साक्षी को बयान धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता का पढ़कर सुनाया गया तो **साक्षी ने कहा कि आसू व चेतन ने न तो मेरी चेन छीनी न ही रुपए छीने। यह बयान मैंने वकील साहब के समझाने व लोगों के कहने सुनने की वजह दे दिया था।** मैं आज जो बयान न्यायालय में दे रहा हूँ। वहीं बयान सही है। उक्त साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा **पक्षद्रोही** घोषित कर जिरह की अनुमति चाही गयी।

अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त साक्षी **पी.डब्लू–1 विशाल** से जिरह की गयी, जिसमें इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना दिनांक 18.03.2022 को रात 08.00 बजे की है। प्रमोद कुमार व देवेन्द्र कुमार मेरे गाँव के है। मैंने इनके पैर छूने का प्रयास किया था जिस बात को लेकर नाराज हो गए थे। **चेतन व आसू ने न तो मेरी चेन छीनी और न ही मेरे रुपए लूटे, न इन्होंने मुझे गाली दी न मारपीट की न जान से मारने की धमकी दी न ही मुझसे चेतन व आसू ने कोई रुपए और चेन की लूट की।** यह कहना गलत है कि देवेन्द्र, अनूप, प्रमोद ने रास्ते में मेरे साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। यह भी कहना गलत हे कि आसू व चेतन ने चेन व रूपये लूट लिये हो।

बचावपक्ष द्वारा उक्त साक्षी **पी.डब्लू–1 विशाल** से जिरह की गयी, जिसमें इस साक्षी ने कथन किया है कि **मैंने लोगों के बताने के आधार पर मुकदमा लिखाया था। अंधेरा बहुत था। इस कारण मैं पहचान नहीं पाया था। अब मुझे पूर्ण रूप से जानकारी हो गयी है कि मेरे साथ जो घटना हुई थी, उसमें प्रमोद, देवेन्द्र, अक्षय उर्फ आसू, अनूप व चेतन उस घटना में शामिल नहीं थे**।

इसप्रकार वादी मुकदमा पी.डब्लू–1 विशाल द्वारा स्वयं वादी मुकदमा के बयान से अभियोजन कथानक साबित नहीं हो पाया है।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी के साक्ष्य का विवेचन करने के लिये **पी0 डब्लू0 2 विष्णुकान्त** की साक्ष्य को देखा जाये तो इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के विपरीत बयान देते हुए **पक्षद्रोही** साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

मुख्य परीक्षा में साक्षी पी0 डब्लू0 2 ने यह कथन किया है कि **"दिनांक 18.03.2022 को समय करीब सायं 8.00 बजे मैं होली मिलने अपनी रिश्तेदारी गया था। उस दिन मैंने गांव में अपने घर के बाहर मुल्जिम प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, अनूप कुमार, अक्षय उर्फ आशु व चेतन को विशाल कुमार के साथ मारपीट करते हुये नहीं देखा था और न ही विशाल कुमार की सोने की जंजीर व 17,00/–रूपये लूट करते हुये मैंने किसी को नहीं देखा था। मैंने कोई भी घटना आंखों से नहीं देखी थी।** अभियोजन द्वारा पी0 डब्लू0 2 को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया।

उक्त साक्षी पी.डब्लू–2 से अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की गयी, जिसमें इस साक्षी ने कथन किया है कि घटना वाले दिन मैं रात 8.00 बजे होली मिलने दूसरे गांव में गया था। देर रात लौटकर आया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 08.03.2022 को रात 8.00 बजे मेरे घर के बाहर शोरगुल की आवाज सुनवाई पड़ी हो मैंने घर से बाहर निकलकर देखा हो तो अभियुक्त प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, अनूप कुमार, अक्षय उर्फ आशु व चेतन को विशाल कुमार के साथ मारपीट करते देखा हो और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये देखा हो। यह भी कहना गलत है कि मैंने विशाल कुमार की सोने की जंजीर व 1,700/–रूपये की लूट करते हुये मुल्जिमानों को देखा है।

उक्त साक्षी से बचावपक्ष द्वारा भी जिरह की गयी तो यह कहा कि **मेरे**

सामने कोई घटना व लूटपाट नहीं हुई है।

इस प्रकार साक्षी **पी.डब्लू–2 विष्णुकान्त** द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों से अभियोजन कहानी को साबित नहीं किया गया है जबकि वादी मुकदमा ने इस साक्षी को घटना का चक्षुदर्शी अपने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में बताया था। साथ ही यह भी बताया था कि घटना के समय उक्त साक्षी मौके पर उपस्थित होकर अभियुक्तगण को ललकारे थे। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के बयान के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोपो को साबित होना नहीं कहा जा सकता।

12. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षी के साक्ष्य का विवेचन करने के लिये **पी0 डब्लू0 3 सोनी देवी** की साक्ष्य को देखा जाये तो इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना के विपरीत बयान देते हुए **पक्षद्रोही** साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

मुख्य परीक्षा में साक्षी पी0 डब्लू0 3 ने यह कथन किया है कि **"दिनांक 18/3/2022 को होली का त्यौहार चल रहा था। समय करीब 08.00 बजे रात्रि होली मिलने जुलने वाले लोग मेरे घर आ रहे थे। मैं अपने घर के अन्दर थी। मेरे पति विष्णुकांत होली मिलने रिश्तेदारी गये थे। उस दिन मैंने गांव में अपने घर के बाहर मुल्जिम प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, अनूप कुमार, अक्षय उर्फ आशू व चेतन को विशाल कुमार के साथ मारपीट करते हुये नहीं देखा था और न ही गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये देखा था और न ही विशाल कुमार की सोने की जंजीर व 1,700 रुपये की लूट करते हुये मैंने किसी को नहीं देखा था। मैंने कोई भी घटना अपनी आंखो से नहीं देखी थी। इससे पूर्व मैंने दिनांक 26/8/2022 को इस सम्बन्ध में मैंने न्यायालय में बयान दिया था, वह बयान मैंने लोगों के कहने व वकील साहब के समझाने पर दिये थे।** अभियोजन द्वारा पी0 डब्लू0 3 को **पक्षद्रोही** घोषित किया गया।

उक्त साक्षी पी.डब्लू–3 से अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की गयी, जिसमें इस साक्षी ने कथन किया है कि **घटना वाले दिन होली का त्यौहार चल रहा था एक दूसरे के घर लोग होली मिलने आ जा रहे थे त्यौहार की वजह से गांव में खूब भीड़भाड़ आ जा रही थी। मेरे घर में भी काफी लोग आ जा रहे थे, इसलिये मैं घर से बाहर निकलकर कहीं नहीं गई थी। यह कहना गलत है कि दिनांक**

8/3/2022 को रात 08.00 बजे मेरे घर के बाहर शोरगुल की आवाज मुझे सुनाई पड़ी हो और मैंने व मेरे पति विष्णु कान्त ने घर से बाहर निकलकर देखा हो कि अभियुक्त प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, अनूप कुमार, अक्षय उर्फ आशू व चेतन को विशाल कुमार के साथ मारपीट करते व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुये देखा हो। यह भी कहना गलत है कि मैंने मुल्जिमानों द्वारा विशाल कुमार की सोने की जंजीर व 1700/– रुपये की लूट करते देखा हो।

उक्त साक्षी से बचावपक्ष द्वारा भी जिरह की गयी तो यह कहा कि **मैंने कोई घटना नहीं देखी थी और न मैंने घटना के बारे में किसी को कुछ बताया था। मेरा जो न्यायालय में पूर्व में बयान हुआ था वो लोगों के बताने के अनुसार दिया था आज जो मैं बयान दे रही हूं वो बिना किसी के जोर दबाव के दे रही हूँ।**

इस प्रकार साक्षी पी.डब्लू–3 सोनी देवी द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों से अभियोजन कहानी को साबित नहीं किया गया है जबकि वादी मुकदमा ने इस साक्षी को घटना का चक्षुदर्शी अपने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में बताया था। साथ ही यह भी बताया था कि घटना के समय उक्त साक्षी शोरगुल की आवाज पर उपस्थित थी परन्तु इस साक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य में घटना को देखे जाने से इन्कार कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के बयान के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोपो को साबित होना नहीं कहा जा सकता।

13. पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है कि वादी मुकदमा द्वारा घटना के समय अपने पिता वीरेन्द्र कुमार को मौजूद होना कहा गया है किन्तु उन्हें परीक्षित नहीं कराया गया है जिसका कोई भी स्पष्ट कारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है।

14. उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेशण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण **प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, अनूप कुमार, अक्षय उर्फ आशु** व **चेतन** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत **धारा–395, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता** को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण **प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, अनूप कुमार, अक्षय उर्फ आशु** व **चेतन** के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत **धारा–395, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त** किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **प्रमोद कुमार, देवेन्द्र कुमार, अनूप कुमार, अक्षय उर्फ आशु** व **चेतन** को **विशेष सत्र परीक्षण संख्या–677/2022 राज्य प्रति प्रमोद कुमार आदि अपराध अन्तर्गत धारा–395, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है**।

अभियुक्तगण हाजिर अदालत है। उनके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

प्रत्येक अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के अन्तर्गत 20,000/–हजार रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इसी धनराशि के एक प्रतिभू की जमानत दाखिल करें।

दिनांक 03.04.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कक्ष संख्या–1, कन्नौज।
J.O.CODE–UP6489

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित एवं उद् घोषित किया गया।

दिनांक 03.04.2026

(हरि प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(दस्यु प्रभावित क्षेत्र) कक्ष संख्या–1, कन्नौज।
J.O.CODE–UP6489